

प्रेषक

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी /
वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,
पिथौरागढ़ एवं गोपेश्वर (चमोली), उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in
फोन / फैक्स: -0135-2741607, 2742641
ई-मेल: -ccspfmua@gmail.com

देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2018।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "4406-01-101-07-00-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ- शासनादेश सं० 1549/X-2-2018-12(50)/2012 दिनांक 09 अगस्त, 2018 (छायाप्रति संलग्न)।
महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई०डी०-S1808270046 दिनांक 07.08.2018 से वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "4406-01-101-07-00-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य" के अन्तर्गत शासन से कोषागार मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 25,00,000/- (₹ पच्चीस लाख मात्र) के अतिरिक्त वर्तमान में अवमुक्त / जारी धनराशि ₹ 2,75,00,000/- (₹ दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) का ऑन लाइन आवंटन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का भुगतान करने का कष्ट करें।

- 1- संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
- 3- अवमुक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी / शासन की पूर्व सहमति / स्वीकृत ली जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 5- बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाये।
- 6- निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं न सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 638/XXX-1-12 (25)2011, दिनांक 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
- 7- आवंटित / जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक


- (2) -


संख्या: नि0 347 (1)/3-5 (इको टास्क फोर्स) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं एवं गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 8- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं एवं गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड।
- 9- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी (प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ तथा भू0सं0 अलकनंदा वन प्रभाग)। कृपया संदर्भित शासनादेश एवं उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 से 7 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ईको टास्क फोर्स की कम्पानियों हेतु सक्षम स्तर से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।
- 10- कमान अधिकारी, 127-इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना), पर्यावरण, कुरुक्षेत्र मार्ग, देहरादून कैंन्ट तथा कमान अधिकारी, 130-इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना), कुमाऊं, पर्यावरण, पिन-966130 मार्फत 56 सेना पत्रालय। कृपया सक्षम स्तर से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त बिन्दु संख्या-1 से 7 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।
- 11- मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार




(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-347/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1808271242

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -24-Aug-2018

DDO Name - DFO Pithoragarh Forest DivisionPithoragarh (4256) , Treasury - Pithoragarh (3800)

1: लेखा शीर्षक	4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	01 - वानिकी
	101 - वन संरक्षण और विकास	
	07 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य	
	00 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	14500000	14500000
	0	14500000	14500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

14500000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-347/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1808271244

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -24-Aug-2018

DDO Name - DFO Soil Conservation Division AlaknandaGopeswar (4258) , Treasury - Chamoli (Gopeswar) (4000)

1: लेखा शीर्षक	4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	01 - वानिकी
	101 - वन संरक्षण और विकास	
	07 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य	
	00 - इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	13000000	13000000
	0	13000000	13000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

13000000